निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के कृषकों द्वारा उत्पादित समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के लिये नये बारदानों के क्रय हेतु कार्यशील पूंजी लगभग राशि ₹ 500 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कॉमर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' के अंतर्गत पंजीबद्ध बैंकों से न्यूनतम राशि ₹ 100 करोड़ (अक्षरी – सौ करोड़ रूपये मात्र) की साख सीमा/अल्पकालीन ऋण सुविधा के प्रस्ताव को निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है –

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 100 करोड़ (अक्षरी– सौ करोड़ रूपये मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि में से जुलाई, 2018 से नवम्बर, 2018 तक आवश्यकता अनुसार किश्तों में राशि आहरित की जा सकेगी।

2. प्रस्तावित की जाने वाले अल्पकालीन ऋण/साख–सीमा की राशि पूर्व वर्षों के लिए स्वीकृत किये गये राशि के अतिरिक्त होगी।

3. साख–सीमा की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान सी.एम.आर. चावल का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन हेतु सी.एम.आर. चावल लेव्ही चावल का स्टाफ तथा बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन किया जा सकेगा।

4. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्ध सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

5. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2018–19 के लिए समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन हेतु बारदाना क्रय के लिए माह जुलाई, 2018 से माह नवम्बर, 2018 तक किया जाना है। अनुमानित अल्कालीन/साख–सीमा की राशि ₹ 500 करोड़ होगी, जिसको मासिक आवश्यकता के आधार पर आहरित किया जावेगा।

6. स्वीकृत अल्पकालीन ऋण/साख–सीमा पर अधिकतम 2% दण्ड ब्याज मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश होने की स्थिति मे अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।

7. ब्याज दर फ्लोटिंग दर/एम.सी.एल.आर. दर (न्यूनतम 03 माह के एम.सी.एल.आर दर) के लिए ही प्रस्तुत की जावे।

8. निविदाकर्ता बैंक की शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

9. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से कम से कम 06 माह की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे।

10. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा मे अल्पकालीन ऋण/साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

11. अल्पकालीन ऋण/साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

12. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दंडिक ब्याज देय नही होगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी।

13. जिन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा।

14. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही अल्पकालीन ऋण/साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

15. यदि सफल निविदाकार/निविदाकारों से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर निविदत्त करने वाले अगले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंकों से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा।

16. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

Alpana 20/4/18

(डॉ. अल्पना घोष)
वित्तीय नियंत्रक सह
मुख्यलेखाधिकारी